न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (गिरोहबंद अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय संख्या–12, गाजियाबाद।

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–125/2026 संगणक पंजियन संख्या 3558/2026

UPGZ010076182026

आशु पुत्र मुकेश, निवासी–गली नम्बर–2, छिजारसी, सैक्टर–63, नोएडा, जिलाः गौतमबुद्धनगर----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–470/2026
धाराः 2/3 गिरोहबंद अधि०
थानाः इन्द्रापुरम, गाजियाबाद

दिनांकः 29.06.2026

1– प्रस्तुत **प्रथम जमानत** आवेदन प्रार्थी/अभियुक्त आशु की ओर से मु०अ०सं०–470/2026, धाराः 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थानाः इन्द्रापुरम, जनपदः गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार मुकेश के द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि यह प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं है।

3– जमानत आवेदन पर अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा व रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी का उक्त वाद से कोई वास्ता या ताल्लुक किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त किसी गिरोह का सदस्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त ने आज तक किसी गिरोह के साथ मिलकर कोई अपराधिक कार्य नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का समाज के लोगों में किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सीधा–सादा सम्मानित परिवार का सदस्य है। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले की घटना स्थल पर नहीं पकड़ा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम मुकदमा जो चेकिंग के दौरान चोरी की मोटर

Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2026.06.29 17:16:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साईकिल बरामद करना दर्शाकर दर्ज कराया था, उसके उपरान्त गैंगचार्ट में दिये गये सभी मुकदमों में प्रार्थी/अभियुक्त को थाना हाजा की पुलिस द्वारा झूंठा व फर्जी तरीके मुल्जिम दर्शा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था तथा साथ ही साथ अपना खर्चा चलाने के लिए तथा अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं उठाने के लिए मेहनत मजदूरी करता था। प्रार्थी/अभियुक्त उक्त मामले की बाबत दिनांकः 11.06.2026 से जिला कारागार में बंद है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध से सम्बन्धित जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर भागने व गहावन तोड़ने का काई अन्देशा दौरान वाद किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त मानीनय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5– अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में विद्वान विशेष लोक अभियोजक (दांडिक) द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त आशु द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर मोटर साइकिलों की चोरी करने संबंधी जघन्य अपराध कारित किए हैं। अभियुक्त का जनता में भय व आतंक व्याप्त है। अभियुक्त पेशेवर अपराधी है। अपराध गंभीर है। अतः अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाये।

6– गैंगचार्ट में आधार वाद के रूप में प्रार्थी/अभियुक्त आशु के विरूद्ध मु०अ०सं० 694/2025 अन्तर्गत धाराः 317(2), 317(5), 3(5), 111, 317(4)भा०न्या०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 683/2025 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2), 3(5)भा०न्या०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 685/2025 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2), 3(5)भा०न्या०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 690/2025 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2), 3(5)भा०न्या०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 691/2025 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2)भा०न्या०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 692/2025 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2)भा०न्या०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 429/2025 अन्तर्गत धाराः 379, 411भा०दं०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद व मु०अ०सं० 62/2025 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2), 3(5)भा०न्या०सं०, थानाः सिहानी गेट, जिलाः गाजियाबाद पर अभियोग पंजीकृत है।

7– उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 19(4) के प्रावधान के अनुसार– संहिता मे किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध में आरोपित किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पत्र पर तब तक नहीं छोडा जाएगा, जब तक कि–

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोडे जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं

दिया जाता है, और

(ख) जहॉ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान न हो जाए कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

8– उभयपक्ष के तर्कों एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक अभियुक्त आशु के विरूद्ध दर्शित गैंगचार्ट के अनुसार मु०अ०सं० 694/2025 अन्तर्गत धाराः 317(2), 317(5), 3(5), 111, 317(4)भा०न्या०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 683/2025 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2), 3(5)भा०न्या०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 685/2025 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2), 3(5)भा०न्या०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 690/2025 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2), 3(5)भा०न्या०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 691/2025 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2)भा०न्या०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 692/2025 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2)भा०न्या०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद, मु०अ०सं० 429/2025 अन्तर्गत धाराः 379, 411भा०दं०सं०, थानाः इन्द्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद व मु०अ०सं० 62/2025 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2), 3(5)भा०न्या०सं०, थानाः सिहानी गेट, जिलाः गाजियाबाद पर अभियोग पंजीकृत है तथा डी०सी०आर०बी० की आख्यानुसार उक्त अभियुक्त के विरूद्ध मु०अ०सं० 395/2024 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2)भा०न्या०सं०, सैक्टर–58, जिलाः गौतमबुद्ध नगर, मु०अ०सं० 713/2021 अन्तर्गत धाराः 379, 411 34 भा०दं०सं०, थानाः इंद्रापुरम, जिलाः गाजियाबाद व मु०अ०सं० 28936/2024 अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2)भा०न्या०सं०, थानाः ई पुलिस स्टेशन, जिलाः दिल्ली पंजीकृत हैं। उक्त आपराधिक मामले चोरी इत्यादि के अपराध से सम्बंधित हैं। वाद आधार के रूप में वर्णित उपरोक्त आपराधिक मामले में रोहित कश्यप, सागर शर्मा, आकाश व नीरज भी अभियुक्तगण हैं, जिनके साथ मिलकर एक गिरोह के रूप में उपरोक्त आपराधिक मामले से सम्बंधित अपराध कारित किया जाना कहा गया है। अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से प्रथम दृष्टया विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त जो कि गिरोह का सदस्य है तथा उसके द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर चोरी आदि से सम्बंधित समाज विरोधी अपराध किये जाते हैं। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरीशुदा 09 दो–पहिया वाहन अर्थात् मोटर साइकिलें व स्कूटी बरामद होना दर्शित किया गया है। गैंग चार्ट में वर्णित आपराधिक घटना में आवेदक अभियुक्त की सक्रिय भूमिका प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होती है। उक्त कृत्य गिरोह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस प्रकार से किया जाना प्रतीत होता है, जिससे कि लोक शान्ति भंग होना तथा समाज में भय व्याप्त होना स्वाभाविक है। इस प्रकार आवेदक अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। प्रस्तुत मामले के

तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की ओर से संस्थित जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी/अभियुक्त **आशु** की ओर से मु०अ०सं०–470/2026, धाराः 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थानाः इन्द्रापुरम, जनपदः गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत **प्रथम जमानत आवेदन** सं०–125/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–29.06.2026

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
विशेष न्यायाधीश (गिरोहबंद अधि०)/अपर
सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–12, गाजियाबाद।
J.O. Code- UP6480